


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प० /2018/ 248 दिनांक : 01/08/2018

—: परिपत्र :-


शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के अलग-अलग आदेशों के द्वारा पीजी पूर्ण करने के पश्चात् पदस्थापन आदेश जारी किये गये हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे। यदि किसी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत किया जाना हो तो सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश स्वीकृत किया जावे।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प० /2018/ 248 दिनांक : 01/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, समस्त।
5. महानिदेशक, कारागार, संबंधित।
6. निदेशक, ईएसआई/एमएसयू, संबंधित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, समस्त।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट/ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावे।
10. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।